Cooperative Press, Jaipur/2014

प्ररूप 3

[नियम 13 (4) देखिए]

निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट की गई विशिष्टियों को सही करने के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

..... पंचायत समिति।

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि पंचायत वृत्त..... के वार्ड संख्या.....की निर्वाचक नामावली के क्रम संख्या.....में मुझसे संबंधित आयी प्रविष्टि सही नहीं हैं और इसे सही किया जाना चाहिए। मेरे निवेदन के समर्थन में सही विशिष्टियां नीचे दी गयी हैं :-

इस खाने के भीतर पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए पासपोर्ट आकार (3.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) का नवीनतम फोटो चिपकाने के लिए स्थान

1. आवेदक का ब्यौरा	नाम		उपनाम (यदि कोई हो)
1 जनवरी .....(वर्ष लिखें) को आयु	वर्ष :	मास :	
जन्म-तिथि, यदि ज्ञात हो	दिन :	मास :	वर्ष :
लिंग* (स्त्री/पुरूष/अन्य)			
पिता/माता/पति का नाम (अनुपयुक्त अनुकल्प को काट दें)	नाम :		उपनाम (यदि कोई हो)
2. वर्तमान सामान्य निवास स्थान की विशिष्टियां (पूरा पता)			
मकान/द्वार संख्यांक :			
मार्ग/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क :			
नगर/ग्राम :			
तहसील :	पिन कोड :		
पंचायत समिति :			
जिला :			
मोबाइल सं. (यदि कोई हो):	ई-मेल (यदि कोई हो):		
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम :	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की भाग सं. :		
3. सही की जाने वाली प्रविष्टियों के ब्यौरे : इस प्ररूप में ऊपर उपलब्ध करवायी गयी सूचना के संबंध में मेरा नाम/आयु/पिता का/माता का/पति का नाम/लिंग/पता सही किया जायें। (अनुपयुक्त अनुकल्प को काट दें)			
स्थान :			
दिनांक :			निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी

टिप्पण : कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18-क के अधीन दण्डनीय है।

* यदि किन्नर/लिंग परिवर्तन कराने वाले अपना लिंग पुरुष या महिला के रूप में उल्लिखित नहीं करना चाहते हैं तो वे अपना लिंग 'अन्य' लिखें।

* कृपया पासपोर्ट आकार का फोटो संलग्न करें यदि फोटो में कोई संशोधन किया जाना है।